



कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
कृषि अनुसंधान भवन-1, पूना, नई दिल्ली - 110012
AGRICULTURAL SCIENTISTS RECRUITMENT BOARD
Department of Agricultural Research and Education
Krishi Anusandhan Bhavan-1, Puna, New Delhi-110012



नेट-2021 का अंतिम परिणाम
PROVISIONAL RESULT for NET-2021

परीक्षा की तारीख / Date of Examination : 26-Aug-2021

परिणाम / RESULT : QUALIFIED

अनुक्रमांक/Roll No.	4134437493
परीक्षार्थी का नाम/Name of the Candidate	DEBASHRUTI BHATTACHARJEE
पिता का नाम/Father's Name	D BHATTACHARJEE
जन्म तिथि/Date of Birth	21-Jul-1997
पंजीकरण सं./Registration No.	224132
विषय/Discipline	Environmental Science
वर्ग/Category	Un-Reserved (General)
दिव्यांग/Divyang	No
लिंग/Gender	Female
सही जवाब/Correct Answers	89
गलत जवाब/Incorrect Answers	34
रिक्त/Blank	27
शुद्ध प्रश्न/Open Questions	0
सकारात्मक अंक /Positive Marks	89
नकारात्मक अंक/Negative Marks	11.33
प्राप्त अंक /Marks Obtained	77.67(51.78%)
संबंधित वर्ग के लिए कट ऑफ अंक / Cut-off Marks for the respective category	50%

घांटे /Disclaimer :

- i. यद्यपि परिणाम की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी यदि परिणाम में किसी भी स्तर पर कोई विसंगति कृ.वै.च.म. की जानकारी में आती है, तो इसे सुधारने का संपूर्ण अधिकार मंडल के पास सुरक्षित है और यदि इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति / उम्मीदवार प्रभावित होता है तो उसका किसी भी तरह का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा
While every care has been taken to ensure accuracy of the result, if at any stage, any discrepancy comes to the notice of ASRB, the Board reserves the right to rectify the same and no claim whatsoever will be entertained if any person/candidate is affected in the process.
- ii. कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल आवेदक द्वारा भरे गये ऑन-लाइन आवेदन पत्र की सूचनाओं के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करता है. यदि परीक्षार्थी द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत या झूठी पाई जाती है तो इस परिणाम को रद्द किया जा सकता है एवं नेट प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। ASRB issues the certificate on the basis of information provided by the candidate in his / her application form filled on-line. Issue of NET Certificate could be denied and this result could be cancelled if the information provided by the candidate is found false / incorrect.
- iii. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति करने वाले संगठन राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र से संबंधित योग्यताएँ जैसे निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ, जाति/विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), चरित्र एवं पूर्ववृत्त तथा नियमानुसार विस्तृत चिकित्सा परीक्षा सहित मूल प्रमाण पत्र की जांच अवश्य कर ले।
The recruiting organization must verify the original certificate including prescribed qualification in the relevant discipline of NET certificate, Caste/PwBD Certificate (if applicable), Character & Antecedents and detailed Medical Examination as per rule before considering the appointment of NET qualified candidate.
- iv. कृ.वै.च.म द्वारा जारी अधिसूचना सं 1(2)/2020-परीक्षा-11 दिनांक 30.03.2021 में उपरोक्त विषय में निर्धारित अर्हताओं का सार निम्नवत् है:
Extracts of prescribed eligibility qualifications in the above said discipline as laid down in ASRB's notification No. 1(2)/2020-Exam.11 dated 30.03.2021 are as under: Master's Degree in Environmental Science , Agro-forestry with Specialization in Environmental Science , Agricultural Physics with Specialization in Environmental Science , Agriculture with Specialization in Environmental Science
a. उपरोक्त विषय में निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं दिनांक 19.09.2021 तक पूर्ण कर ली गई हो।
Aforesaid prescribed educational qualifications in the subject must have been completed by 19.09.2021.
b. आयु सीमा - उम्मीदवार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2021 को या इससे पूर्व आयु के 21 वर्ष पूरे कर लिए होने चाहिए (अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है)
Age limit: A candidate must have attained the age of 21 years on or before 01.01.2021. (There is no upper age limit)
c. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग / कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संसय समय पर निर्धारित / संशोधित किये गए प्रपत्र में होना चाहिए।
SC / ST / OBC / EWS Certificate (if applicable) should be in the format as prescribed / amended from time to time by Department of Personnel and Training (DoPT), Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Government of India.